नीलामी/निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि बरेली क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बस स्टेशनों पर रिक्त/संचालित कैण्टीन/स्टॉलों की नीलामी निगम मुख्यालय द्वारा जारी कैण्टीन स्टॉल सम्बन्धी नवीन नियमावली नवम्बर, 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। कैण्टीन स्टॉल संचालन हेतु इच्छुक आवेदक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, पुराना बस स्टैण्ड, बरेली से निर्धारित शुल्क रु0 500.00(रुपया पाँच सौ मात्र) जी0एस0टी0 अतिरिक्त निगम कोष में नकद जमा कर बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न कैण्टीन/स्टॉलों सम्बन्धी संशोधित नियमावली, 2020 निविदा प्रपत्र एवं मुख्य शर्तों सहित क्रय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com से भी इसे डाउनलोड किया जा सकेगा। इस हेतु निगम कोष में जमा करायी गयी धनराशि रु0 500.00 की प्राप्ति रसीद की स्वप्रमाणित प्रति तथा निविदा प्रपत्र में निर्धारित सभी अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियां टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 28.01.2021 को समय अपरान्ह 02:00 बजे तक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, पुराना बस स्टैण्ड, बरेली में रखे टेण्डर बाक्स में डाले जायेंगे। निर्धारित समय व तिथि के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निर्धारित दिवस व समय पर निविदा बाक्स उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख सील कर दिया जायेगा तथा दिनांक 28.01.2021 को ही क्षेत्रीय समिति के द्वारा निविदादाताओं के समक्ष अपरान्ह 03:00 बजे निविदायें खोली जायेंगी। जिन कैण्टीन स्टॉलों के संचालन की अवधि छः माह या छः माह से कम शेष है और उनकी अगली नीलामी निविदा जारी की जा रही है, इन कैण्टीन/स्टॉल संचालन के इच्छुक संचालकों को भी निविदा में भाग लिया जाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में संचालित कैण्टीन/स्टॉल की निविदा स्वीकृत होने की दशा में कैण्टीन/स्टॉल संचालन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त ही अनुबन्ध आदि की कार्यवाही की जायेगी। कैण्टीन/स्टॉल स्वीकृत/अस्वीकृत का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। स्वीकृत कैण्टीन/स्टॉल पर जी0एस0टी0 अथवा अन्य कर इत्यादि नियमानुसार प्रभावी होगा। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, पुराना बस स्टैण्ड, बरेली से प्राप्त की जा सकती है। संशोधित नियमावली नवम्बर, 2020 एवं समय-समय पर निगम मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत नीलामी 02 बिड प्रणाली के अन्तर्गत तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के माध्यम से सम्पन्न होगी।

Downloaded from www.upsrtc.com

संचालित/रिक्त कैण्टीन/स्टॉलों, जिनकी नीलामी करायी जानी है, उनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	बस स्टेशन/कार्यालय का नाम	स्टॉल का नाम	संचालन अवधि		अन्य विवरण
			कब से	कब तक	
1.	सैटेलाइट बस स्टेशन	हेयर कटिंग शॉप	24.09.2018	24.07.2020	रिक्त
2.	सैटेलाइट बस स्टेशन	मिल्क बार	15.05.2018	14.05.2021	संचालित
3.	पुराना बस स्टेशन	जनरल मर्चेन्ट	01.06.2018	31.05.2021	संचालित
4.	बहेड़ी बस स्टेशन	कैण्टीन	22.08.2017	21.08.2020	रिक्त
5.	पुराना बस स्टेशन	मेडिकल स्टोर	—	—	नवसृजित
6.	बदायूँ बस स्टेशन	मेडिकल स्टोर	—	—	नवसृजित

टेण्डर के माध्यम से (वित्तीय बिड में) "सर्वोच्च लाईसेंस शुल्क की दर" देने वाले ठेकेदार दिनांक 09.01.2021 से दिनांक 27.01.2021 तक समय 16:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस (अवकाश दिवसों को छोड़कर) में रु0 590.00(रु0 पाँच सौ नब्बे मात्र) जी0एस0टी0 सहित शुल्क कोषागार में जमा कर टेण्डर फार्म एवं संशोधित नियमावली नवम्बर, 2020 प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 28.01.2021 को समय 14:00 बजे तक टेण्डर प्रस्ताव सील्ड लिफाफे में, लिफाफे के ऊपर बस स्टेशन का नाम, स्टॉल का नाम तथा अपना नाम व पता मोबाईल नम्बर सहित अंकित करते हुये, टेण्डर बॉक्स में डाले जा सकेंगे, जिसके लिये आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं-

1. स्टॉल के संचालन की अवधि 03 वर्ष होगी तथा स्टॉल के अनुबन्ध की तिथि से प्रत्येक अगले वर्ष लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि संचालक द्वारा स्वयमेव की जाती रहेगी।

2. निविदा प्रपत्र नियमावली सहित सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, पुराना बस स्टेशन, बरेली से रू0 500.00(रू0 पाँच सौ मात्र) जी0एस0टी0 अतिरिक्त पर क्रय किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद, स्वप्रमाणित करते हुये निविदादाता द्वारा निविदा के साथ (तकनीकी बिड में) संलग्न की जायेगी। एक स्टॉल के लिये एक ही निविदा प्रपत्र मान्य होगा।
3. निविदा प्रपत्र को निगम की वेबसाईट www.upsrtc.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाईट से डाउनलोड निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 500.00 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 90.00 कुल धनराशि रू0 590.00(रू0 पाँच सौ नब्बे मात्र) निगम कोष में जमा कराकर जमा रसीद की स्वप्रमाणित प्रति अथवा समतुल्य राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट "क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, बरेली क्षेत्र या R.M.U.P.S.R.T.C., Bareilly के पक्ष में बनवाकर (तकनीकी बिड में) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी निविदा पृथक–पृथक लिफाफे में डाली जायेगी। प्रत्येक लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में तकनीकी बिड में उपयुक्त पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
5. निविदादाता सीलड निविदा, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, पुराना बस स्टेशन, बरेली पर स्थित टेण्डर बाक्स में अपरान्ह् 02:00 बजे तक डाल सकेंगे। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपरान्ह् 03:00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
6. स्टॉल की नीलामी का निस्तारण निविदा की औपचारिकताएं पूर्ण करने पर प्राप्त उच्चतम दरों के आधार पर किया जायेगा।
7. सफल निविदादाता द्वारा, कार्यादेश जारी होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।
8. सफल निविदादाता को समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण करने तथा अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त कार्यादेश निर्गत कर स्टॉल संचालित करने की अनुमति दी जायेगी।
9. प्राप्त निविदाओं में से अस्वीकृत होने वाली निविदा के साथ संलग्न किया गया अर्नेस्ट मनी का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सम्बन्धित निविदादाताओं को वापस किया जायेगा।
10. निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय चयन समिति में निहित होगा।
11. स्टॉल हेतु अधिकतम मासिक लाइसेंस शुल्क के चयनित निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादित न कराये जाने की स्थिति में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर उसे ब्लैक लिस्ट करने अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
12. निविदादाता द्वारा अपने तकनीकी बिड के लिफाफे में यदि जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो तो संलग्न किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा स्टॉल की अर्नेस्ट मनी हेतु आरक्षित मूल्य का तीन गुने का बैंक ड्राफ्ट "क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, बरेली क्षेत्र या R.M.U.P.S.R.T.C., Bareilly के पक्ष में बनवाकर (तकनीकी बिड में) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. सफल निविदादाता द्वारा अपने वित्तीय बिड में प्रस्तावित की गयी मासिक लाइसेंस शुल्क की 03 गुना धनराशि क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, बरेली क्षेत्र या R.M.U.P.S.R.T.C., Bareilly के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रतिभूति के रूप में अनुबन्ध से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाताओं की अर्नेस्ट मनी को प्रतिभूति की देय धनराशि में समायोजित किया जायेगा अन्यथा अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जब्त करते हुये बिन्दु संख्या 11 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर नियमानुसार प्रतिभूति धनराशि वापस की जायेगी।
16. यदि चयनित निविदादाता/स्टॉल संचालक द्वारा अनुबन्ध अवधि से पूर्व ही बीच में ही स्टॉल छोड़कर/बंद चला जाता है/कर देता है तो प्रतिभूति जब्त कर दी जायेगी परन्तु यदि संचालक अनुबन्ध में निर्धारित 03 माह की सूचना के उपरान्त के उपरान्त स्टॉल खाली/बंद करता है तो उसके अन्य देयकों को प्रतिभूति में से समायोजित करते हुये शेष धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
17. निगम एवं स्टॉल संचालक दोनों के द्वारा 03 माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। नोटिस स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रिय प्रबन्धक में निहित रहेगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

18. चयनित निविदादाता/स्टॉल संचालक द्वारा अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपना लाइसेंस शुल्क जमा कराया जायेगा अन्यथा 10 तारीख के बाद विलम्ब दिवस का आगणन 11वीं तारीख से होगा। प्रत्येक विलम्ब दिवस हेतु मासिक लाइसेंस शुल्क 1/20वां हिस्सा आर्थिक दण्ड स्वरूप जमा होगा।
19. एक माह से अधिक का विलम्ब अनुमन्य नहीं होगा तथा स्टॉल आगामी 10 तारीख को स्वमेव समाप्त हुआ मानते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
20. स्टॉल में विक्रय की जाने वाली किसी भी वस्तु/सेवा को एम0आर0पी0 से अधिक पर नहीं बेचा जायेगा। मूल्य सूची का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से स्टॉल में लगाया जायेगा।
21. निगम परिसर में किसी संज्ञेय अपराध करने/लिप्त पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्टॉल संचालक के विरूद्ध नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुये अनुबन्ध निरस्त किये जाने, प्रतिभूति जब्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
22. स्टॉल संचालक स्टॉल को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं करेगा।
23. स्टॉल का अनुबन्ध वित्तीय बिड में प्रस्तावित की गयी लाइसेंस शुल्क के चार प्रतिशत मूल्य के आगणित धनराशि के स्टाम्प पेपर पर ही तीन वर्षों के लिये किया जायेगा।
24. पी0पी0पी0 से आच्छादित बस स्टेशन के सम्बन्ध में नियमावली, 2020 के अध्याय 04 में की गयी व्यवस्था पी0पी0पी0 योजना के अन्तर्गत स्टॉल की नियमित अवधि तीन वर्ष अथवा डेवलेपर को बस स्टेशन हस्तान्तरित करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक स्टॉल संचालित किया जा सकेगा।
25. रू0 2.50 लाख से अधिक के वार्षिक लाइसेंस शुल्क तक के टेण्डर हेतु प्राप्त सम्बन्धित बिड खोलने के उपरान्त क्षेत्रीय चयन समिति द्वारा कैण्टीन/स्टाल से सम्बन्धित सूचना स्वीकृति हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी, निगम मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
26. कैण्टीन/स्टाल का संचालन निर्धारित स्थान पर ही कराना होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर संचालित कराये जाने की अनुमति नही दी जायेगी।

<u>तकनीकी बिड जमा करने हेतु मुख्य शर्ते निम्नवत् हैं—</u>

A. जिन स्टॉल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची (Black List) में हैं, वे निविदा डालने के अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा काली सूची (Black List) में न होने का नोटराइज्ड शपथ पत्र अपने तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।
B. आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।
C. पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।
D. जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र यदि हो तो उसकी स्वयं सत्यापित प्रति तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।
E. आरक्षित दर के तीन गुना का अर्नेस्ट मनी हेतु बैंक ड्राफ्ट मूल रूप से तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।
F. निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद, स्वप्रमाणित करते हुये निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड में रखी जायेगी।
G. सफल निविदादाता द्वारा, कार्यादेश जारी होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र अनुबन्ध निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा उक्त आशय का लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र तकनीकी बिड के लिफाफे में संलग्न किया जायेगा। जिन निविदादाता को जिलाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र हो वे अपने तकनीकी बिड के लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं।
H. निविदा प्रपत्र/आवेदन प्रारूप तथा तकनीकी बिड के प्रारूप को विधिवत् भरने वाले निविदादाताओं की ही निविदा स्वीकार की जायेगी, अपूर्ण अथवा अस्पष्ट भरे आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
I. तकनीकी बिड के लिफाफे के ऊपर तकनीकी बिड, अपना नाम, पता, मो0नं0 तथा स्टॉल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
J. मेडिकल स्टोर हेतु ड्रग लाइसेन्स की सत्यापित प्रति भी लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

वित्तीय बिड की मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं–

A. वित्तीय बिड के प्रारूप में क्र0सं0 01 से 07 तक स्पष्ट सूचना अंकित की जायेगी तथा क्र0 सं0 05 व 06 में निविदादाता द्वारा आरक्षित मूल्य से अधिक की दर (मय सभी टैक्सों के) अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप में अंकित की जायेगी। वित्तीय बिड के लिफाफे के ऊपर वित्तीय बिड, अपना नाम, पता, मो0नं0 तथा स्टॉल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
बरेली

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम
बरेली क्षेत्र

पत्रांक–बीआर/भवन/टेण्डर/2021– 115 दिनांक– 08 .01.2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि नीलामी विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें–

1- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2- मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा0/संचा0), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3- प्रधान प्रबन्धक(विविध/पीआईडीएम/वाणिज्य विपणन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4- प्रधान प्रबन्धक(एम0आई0एस0), वैब मास्टर, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5- जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
7- सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, बरेली।
8- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम बरेली/रूहेलखण्ड/बदायूँ/पीलीभीत को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा बस स्टेशनों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
9- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, बरेली।
10- कोषाध्यक्ष, उ0प्र0 परिवहन निगम, बरेली।
11- नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, बरेली।
12- tender@upsrtc.com
13- समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

08.01.2021
क्षेत्रीय प्रबन्धक
बरेली

Downloaded from www.upsrtc.com